लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1615

जिसका उत्तर बुधवार, 06 दिसम्बर, 2023 को दिया जाएगा

खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

1615. श्री हरसिमरत कौर बादल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरसों तेल, मसूर, दूध, गेहूं का आटा, टमाटर आदि जैसे खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतों के प्रति देश में व्यापक आक्रोश देखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2014 की तुलना में आज तक इन आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में 200 प्रतिशत से 800 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(घ) खाद्य पदार्थों की कीमतों में इतनी भारी वृद्धि के क्या कारण है; और

(ङ) खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.): दिनांक 12.12.2023 की स्थिति के अनुसार, सरसों के तेल और दाल जैसे खाद्य उत्पादों की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों में साल-दर-साल आधार पर 18.32% और 1.3% की गिरावट आई है। इसी प्रकार, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, वनस्पति, पाम तेल और आलू की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं। 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं में से किसी में भी 2014 की तुलना में 2023 में खुदरा मूल्य में 200% से 800% की वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वह कई कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे कि मौसमी चक्र, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या भारी बारिश के कारण क्षति होने से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, थोक आगमन और लॉजिस्टिक समस्याओं से बाजार में बहुतायत की स्थिति उत्पन्न होने से खुदरा कीमतों में गिरावट की संभावना रहती है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की स्थिति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में, उपभोक्ता मामले विभाग देश भर के 550 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है, जिसमें तीन सब्जियों, अर्थात्

प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें शामिल हैं। देश भर में मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या वर्ष 2014 में 64 से बढ़ाकर वर्ष 2023 (नवंबर तक) में 550 करके आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, मूल्य रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप, तथा डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और विश्लेषण के लिए मूल्य निगरानी डैशबोर्ड भी आरंभ किया गया है।

खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन में मौसमीपन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न हुई कृत्रिम कमी, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या भारी बारिश के कारण क्षति के कारण कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, थोक आवक और लॉजिस्टिक समस्याओं से बाजार में बहुतायत होने और खुदरा कीमतों में गिरावट आने की संभावना होती है। सरकार ने वर्ष 2014-15 में उपभोक्ताओं को कृषि-बागवानी वस्तुओं में अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्कीम शुरू की। पीएसएफ के तहत, बाजार में हस्तक्षेप के लिए तथा जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को कम करने के लिए प्रमुख दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। अब तक, मूल्य स्थिरीकरण कार्यों के लिए कुल 27,489.14 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य रुझानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और उन्हें किफायती कीमतों पर पूरे भारत में सभी उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कीमतों को कम करने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमा लागू करना, जमाखोरी को रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी और आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति उपकरणों में अपेक्षित परिवर्तन शामिल हैं।

उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के पास चना स्टॉक को खुदरा निपटान के लिए चना दाल में परिवर्तित करके जुलाई, 2023 में भारत दाल की शुरूआत की गई है। भारत दाल सेना, सीएपीएफ, राज्य सरकारों और उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। भारत दाल की खुदरा बिक्री देश भर में 3,836 खुदरा दुकानों - स्टेशनरी और मोबाइल आउटलेट दोनों के माध्यम से की जा रही है। इसी तरह, सरकार ने बफर से मूंग स्टॉक को उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर खुदरा बिक्री के लिए मूंग दाल और मूंग साबुत में परिवर्तित करने का निर्णय किया है। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफायती बनाने के लिए 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा की भी शुरूआत की है।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्याज बफर लक्ष्य 7.00 लाख टन निर्धारित है और 09.12.2023 तक 5.11 लाख टन की खरीद की जा चुकी है। बफर से प्याज लगातार (i) प्रमुख मंडियों में खुले बाजार में बिक्री, (ii) ई-एनएएम के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी, और (iii) उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुदरा बिक्री के माध्यम से जारी की गई है। देशभर के 172 शहरों और कस्बों में 1,676 खुदरा केंद्रों के माध्यम से प्याज की खुदरा बिक्री की जा रही है। बफर संचालन के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप के अतिरिक्त, सरकार ने घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए दिनांक 29.10.2023 से प्याज पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया है।

सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए दिनांक 02.06.2023 से 31.12.2023 तक तूर और उड़द पर स्टॉक अधिरोपित की और व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, आयातकों आदि जैसी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन निगरानी पोर्टल के माध्यम से इन दालों के स्टॉक का प्रकटीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी और कपटपूर्ण सट्टेबाजी को रोकने के लिए दिनांक 12.06.2023 से 31.03.2024 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा अधिरोपित की।

उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल की उपलब्धता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। तेलों पर कृषि-उपकर 20% से घटाकर 5% कर दिया गया। 30 दिसंबर 2022 को इस शुल्क संरचना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 21.12.2021 को रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया और रिफाइंड पाम ऑयल पर मूल शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया। इस शुल्क संरचना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के मुफ्त आयात को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, 15.06.2023 को केंद्र सरकार ने रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है।

देश की समग्र खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करने और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने भारतीय ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए 13 मई 2022 से गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में संशोधित किया। 12 जुलाई, 2022 से आटा (गेहूं) का निर्यात गेहूं के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर 9 सितंबर, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है और सफेद गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 जुलाई 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल का लगातार निपटान कर रही है। इसी प्रकार, गेहूं की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से आटा मिलों/ गेहूं उत्पादों के निजी व्यापारियों/थोक खरीदारों/ विनिर्माताओं को खुली बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) 2023 के तहत केंद्रीय पूल से गेहूं की लगातार ऑफलोडिंग की जा रही है।

*****